भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 191
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन सुरक्षा को सुदृढ़ करना

191. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन इकोसिस्टम में उद्योग, विनियामकों और हितधारकों के सहयोग से विमानन सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रयास तेज कर दिए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) एयरलाइनों और विमानपत्तनों पर सक्रिय जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन, निरंतर सीखने और सर्वोत्तम पद्धतियों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या प्रचालनात्मक जोखिमों को कम करने के लिए विमानन व्यवसायियों, अनुरक्षण कार्मिकों और विनियामकों के लिए क्षमता निर्माण पहलें की गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार यात्रियों और प्रचालकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन मानकों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को किस प्रकार संरेखित करना सुनिश्चित कर रही है; और

(ङ) जन विश्वास बढ़ाने, दुर्घटनाओं को कम करने और विमानन क्षेत्र के सतत विकास में सहायता करने के लिए इन सुरक्षा उपायों के संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में उद्योग के साथ सहयोग के माध्यम से विमानन सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए संरचित प्रक्रिया विद्यमान है। डीजीसीए, हितधारकों से सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करने के पश्चात सभी नई नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) या उनमें परिवर्तनों को प्रकाशित करता है। ताकि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों और विश्व स्तर पर सामंजस्यपूर्ण मानकों के प्रतिकूल नियमों का मूल्यांकन किया जा सकें।

(ख): डीजीसीए ने आईसीएओ वैश्विक विमानन संरक्षा योजना (जीएएसपी) के अनुरूप राष्ट्रीय उच्च जोखिम श्रेणियों (एन-एचआरसी), उनके सुरक्षा निष्पादन संकेतकों (एसपीआई) और राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान करने के लिए सुरक्षा डेटा संग्रह और प्रसंस्करण प्रणाली (एसडीसीपीएस) की स्थापना की है। एसडीसीपीएस डेटा एन-एचआरसी और एसपीआई निष्पादन को मापता है, जिसे वार्षिक संरक्षा समीक्षा में प्रकाशित किया जाता है।

(ग) : डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार अपने अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किया है, जिसमें उनके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रारंभिक, आवर्तक और विशेष प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा, डीजीसीए ने विशिष्ट सीएआर और परिपत्रों के रूप में नियामक मार्गदर्शन के माध्यम से रखरखाव कर्मियों सहित विमानन पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित किया है।

(घ) : भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की धारा 11, सरकार को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित कन्वेंशन इसके अनुलग्नक और अंतरराष्ट्रीय मानक और अनुशंसित पद्धतियों को लागू करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाती है।

(ङ) : डीजीसीए के पास सभी विमानों और हवाईअड्डा प्रचालकों के लिए नियमों और सीएआर के अनुपालन की निगरानी के लिए सुरक्षा निरीक्षण को बढ़ाने का एक मजबूत तंत्र विद्यमान है। सुरक्षा निरीक्षण में निगरानी, स्पॉट जांच, नियामक और विशेष ऑडिट शामिल हैं। डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है और प्रत्येक निदेशालय एएसपी के अनुसार अपने संबंधित तकनीकी क्षेत्रों में निगरानी/स्पॉट जांच करता है।
